

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2020-21/13957

दिनांक : 30/9/2020

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
191, कोर्ट रोड, नियर सिटी पोलिस स्टेशन
हनुमानगढ़

विषय :- Diversion of 63.6807 Ha. of forest land in favour of National Highways Authority of India PIU Hanumangarh for construction of approach road for construction of 4/6 lane road from Choutala in Sirsa district in state of Haryana to Rasisar in Bikaner district in the state of Rajasthan from CH(0.300) km to 252.500 km. this a part of Amritsar to Kandla express way under Bharatmala Pariyojna **Proposal No. FP/RJ/ROAD/37034/2019**

प्रसंग :- श्रीमान उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 854 दिनांक 02.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के संलग्न प्राप्त उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अन्डरटैकिंग/पालना प्रस्तुत करें। :-

बिन्दु संख्या 3 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 684140 रु. (छः लाख चौरासी हजार एक सौ चालीस)।
बिन्दु संख्या 3 की पालना में सर्वे, डिमार्केशन व स्थायी 4 पीलर निर्माण हेतु राशि @ 2500 प्रति पीलर = 10000 (दस हजार)।

बिन्दु संख्या 4 के अनुसार एनपीवी की राशि 1061231 (दस लाख इकसठ हजार दो सौ इकतीस)। प्रकरण में बिन्दु संख्या 3 पीलर निर्माण की राशि कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ में बैंक/डी.डी. से जमा करावे व बिन्दु संख्या 3 की शेष राशि व बिन्दु संख्या 4 की राशि ई-चालान से ऑनलाईन जमा करायी जावे।

बिन्दु संख्या 6 - परियोजना के निर्माण में आने वाले पेड़ों के पातन की राशि 431636 (चार लाख इकतीस हजार छः सौ छतीस) का बैंक/डी.डी. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़ कार्यालय में अलग से जमा करावे।

बिन्दु संख्या 8 - इसकी अनुपालना हेतु परियोजना के अन्तर्गत सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि (ROW के अनुसार) का चिन्हीकरण कर IRC नोर्मस के अनुरूप (वन विभाग में प्रचलित मॉडल कॉस्ट नोर्मस को मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए) वृक्षारोपण की विस्तृत योजना बढ़ती महंगाई दर को मध्यनजर रखते हुए तैयार करवाई जावे तथा वृक्षारोपण की योजना पर व्यय होने वाली राशि का परियोजना में प्रावधान रखा जावे। इस विभाग के पूर्व अनुभव के अनुसार सड़क निर्माण/चौड़ाईकरण के प्रकरणों में रिडकोर, आरएसआरडीसी लि.,

पीडब्लुडी आदि द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के परिणाम उत्साहजनक अच्छे नहीं रहे है। वन विभाग वृक्षारोपण कराने तथा उनकी देखरेख हेतु विशेषज्ञ है। अतः सड़क निर्माण कार्य के साथ साथ परियोजना में रखे गये प्रावधानानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु रखी गई राशि से वृक्षारोपण व उनके रख रखाव को वन विभाग के माध्यम से करवाना राज्यहित में होगा। इसकी अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करें सैद्धांतिक स्वीकृति के बिन्दुओं की बिन्दु संख्या 1 से 2 व 5, 7 से 21 व 23 से 28 की बिन्दुवार अन्डरटेकिंग/पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑनलाइन जमा कराकर प्राप्ति रसीद भिजवाये।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं कराया जावे।

संलग्न :- प्रासंगिक पत्र

भवदीय


(करण सिंह)

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

क्रमांक/सम/

दिनांक

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, टिब्बी/हनुमानगढ़/पीलीबंगा को पालनार्थ प्रेषित है।


उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़



राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

(Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in & dcf.raj.sgnr@gmail.com)

Phone & Fax No. 0154-2472339)

क्रमांक :- एफ()उवसं/सर्वे/2020-21/ 8040

दिनांक :- 29/09/2020

निमित्त,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम जीएम(टी)
नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया
191, कोर्ट रोड नजदीक पुलिस स्टेशन
हनुमानगढ़।

विषय :- Diversion of 63.6807 ha. Of forest land in favour of National Highways Authority of India, PIU Hanumangarh for construction of approach road for construction of 4/6 lane road from Choutala in Sirsa District in the the state of Haryana to Rasiserin Bikaner District in the state of Rajasthan from CH(-0.300) km to 252.500 km this is a part of Amritsar to Kandla Express way under Bharatmala Pariyojana
Proposal No. (FP/RJ/ROAD/37034/2018)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज0/06/25/2020/एफ.सी./ 854 दिनांक 02.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज0/06/25/2020/एफ.सी./ 854 दिनांक 02.09.2020 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर दी गई है। प्रति संलग्न है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त बिन्दुओं की पालना की जानी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दू सं0 3 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वनक्षेत्र के संतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 21.2752 है0 का दोगुणा क्षेत्रफल 42.55 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि संशोधित दर 136830/- प्रति है0 से राशि रु. 58,22,117/- वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। बिन्दू संख्या 3 की पालना में सर्वे डिमार्केशन व स्थायी 107 पीलर निर्माण हेतु राशि @ 2500 प्रति पीलर 2,67,500/- रु.

बिन्दू संख्या 4 में प्रयोक्ता अधिकारी अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 4.38 लाख प्रति है0 की दर से राशि रु. 93,18,538/- जमा करावे। इस प्रकार से कुल डिमाण्ड राशि निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मद का विवरण	दर	राशि
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 12 वर्षों तक रखरखाव हेतु (CA DFL)	136830/- प्रति हैक्टर	5822117/-
2	एन.पी.वी (NPV)	438000/- प्रति हैक्टर	9318538/-
	कुल योग		15140655/-

बिन्दू संख्या 8 – इसकी अनुपालना हेतु परियोजना के अन्तर्गत सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि (ROW के अनुसार) का चिन्हीकरण कर IRC नोर्मस के अनुरूप (वन विभाग में प्रचलित मॉडल कॉस्ट नोर्मस को मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए) वृक्षारोपण की विस्तृत योजना बढ़ती महंगाई दर को मध्यनजर रखते हुए तैयार करवाई जावे तथा वृक्षारोपण की योजना पर व्यय होने वाली राशि का परियोजना में प्रावधान रखा जावे। इस विभाग के पूर्व अनुभव के अनुसार सड़क निर्माण/चौड़ाईकरण के प्रकरणों में रिडकोर, आरएसआरडीसी लि. पीडब्लुडी आदि द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के परिणाम उत्साहजनक अच्छे नहीं रहे हैं। वन विभाग वृक्षारोपण कराने तथा उनकी देखरेख हेतु विशेषज्ञ है। अतः सड़क निर्माण कार्य के साथ-साथ परियोजना में रखे गये प्रावधानानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु रखी गई राशि से वृक्षारोपण व उनके रख रखाव को वन विभाग के माध्यम से करवाना राज्यहित में होगा।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ के पत्रांक 1074 दिनांक 28.09.2020 द्वारा 212 बाधित पेड़ों को कटवाने का विभागीय मूल्य 293639/-रु. है। प्रकरण में बिन्दू संख्या 3 पीलर निर्माण की राशि 2,67,500/-रु. कुल राशि 5,61,139/-रु. इस कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर के नाम से जमा करावे ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त कुल राशि रु. **15140655+293639+267500 = 1,57,01,794/-** रु. मदवार आनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करावे तथा आनलाईन ई-चालान की छाया प्रतियो प्रस्तुत करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष ओझा)IFS
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

क्रमांक :- सम/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर



विश्वीय धर्मशाला के सामने पब्लिक पार्क, बीकानेर Email-dfobkn@gmail.com टेलि. नं-01512544911

क्रमांक : एफ () सर्वे/2019-20/

6968

दिनांक :- 25/9/2020

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
डायरेक्टर कम जी.एम. (टी),
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
कार्यान्वयन ईकाई, 191 कॉर्ट रोड,
हनुमानगढ़।

विषय:- Diversion of 63.6807 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India PIU Hanumangarh for Construction of Approach road for Construction of 4/6 Lane road from Choutala in Sirsa District in the State of Haryana to Rasisar in Bikaner in the state of Rajasthan from CH (0.300) km to 252.500 km this is part of Amritsar to Kandla express way under Bhartmala priyojana [Proposol No. FP/RJ/ROAD/37034/2019].

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 854 दिनांक 02.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 854 दिनांक 02.09.2020 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 63.6807 Ha. of forest land in favour of National Highway Authority of India PIU Hanumangarh for Construction of Approach road for Construction of 4/6 Lane road from Choutala in Sirsa District in the State of Haryana to Rasisar in Bikaner in the state of Rajasthan from CH (0.300) km to 252.500 km this is part of Amritsar to Kandla express way under Bhartmala priyojana [Proposol No. FP/RJ/ROAD/37034/2019] में वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है अतः शर्तों अनुसार इस वन मण्डल की निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे:-

बिन्दु संख्या 3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 10941638/- (अखरे रुपये एक करोड़ नौ लाख इकतालिस हजार छः सौ अड़तीस मात्र) कैम्पा नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 4- प्रयोक्ता अभिकरण शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि = 39.9826 है० X 438000 रुपये = 17512379/- (अखरे रुपये एक करोड़ पच्चेतर लाख बारह हजार तीन सौ उनासी मात्र) रुपये कैम्पा नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 6- परियोजना के निर्माण में आने वाले पेड़ों के पातन की राशि 632280 (अखरे रुपये छः लाख बत्तीस हजार दो सौ अस्सी मात्र) का बैंक/डी.डी. उप वन संरक्षक, बीकानेर के नाम से बनाकर कार्यालय में अलग से जमा करावे।

बिन्दु संख्या 17- वन खण्ड चक 329.700 आर.डी एण्ड 244 आर.डी. में डीएफएल योजना के अन्तर्गत करवाये जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र के बाउण्डरी पिल्लर की राशि = 30 पिल्लर X 2500 रुपये (प्रति पिल्लर) = 75000/- (अखरे रुपये पच्चेतर हजार रुपये मात्र) का बैंक/डी.डी. उप वन संरक्षक, बीकानेर के नाम से बनाकर कार्यालय में अलग से जमा करावे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 2, 5, 7 से 16 एवं 18 से 28 की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑन लाईन जमा करवाकर प्राप्ति रसीद भिजवावे।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012- एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावे।

प्रदीप
(अनीता)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक/सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।

(अनीता)
उप वन संरक्षक
बीकानेर